IDBI BANK
(CIN NO:L65190MH2004GOI148838)

आई.डी.बी.आई बैंक लिमिटेड, एल.पी.ए. प्रबंधन समूह,
(सीआईएन संख्याः L65190MH2004G01148838)
सातवीं मंजिल, आईडीबीआई टावर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई- 400 005 फोनः 022-66552500, 66552256

कारण बताओ नोटिस
ऋणकर्ता चंद्र प्रोटेको लिमिटेड (सीपीएल),
पंजीकृत कार्यालय, कमरा नंबर 35, दूसरी मंजिल, 2-बी ग्रांट लेन, कोलकाता-700012

एतद्द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में चौथाधारी जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के दिनांक 15 जुलाई, 2024 के मास्टर दिशा-निर्देशों (मास्टर दिशा-निर्देश) के अनुसार धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकरण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और बैंक द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों/संस्थाओं को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस बिना तामील हुए वापस आ गया है।

नाम	पता	पदनाम (ऋणकर्ता/ प्रवर्तक/ निदेशक/ साझेदार/ मालिक/ सह-सहयोगी)
श्री मुकुल गुप्ता	53, टैगोर टाउन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002	प्रबंध निदेशक/प्रवर्तक
श्रीमती अपर्णा गुप्ता	53, टैगोर टाउन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002	पूर्णकालिक निदेशक/ प्रवर्तक
श्री जगदीश कुमार केसरवानी	53, टैगोर टाउन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002	पूर्णकालिक निदेशक
श्री रणजीत गुप्ता	53, टैगोर टाउन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002	निदेशक
श्री अनिलेश गुप्ता	53, टैगोर टाउन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002	निदेशक
हरि व्यापार प्राइवेट लिमिटेड	पंजीकृत कार्यालय- 2बी ग्रांट लेन, दूसरी मंजिल कोलकाता-700012 कॉर्पोरेट	गारंटर
शारदा कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड	पंजीकृत कार्यालय- 2बी ग्रांट लेन, दूसरी मंजिल कोलकाता-700012 कॉर्पोरेट	कॉर्पोरेट गारंटर।
डेटम सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	पंजीकृत कार्यालय- 2बी ग्रांट लेन, दूसरी मंजिल कोलकाता-700012 कॉर्पोरेट	कॉर्पोरेट गारंटर।
वर्चुअस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	पंजीकृत कार्यालय सर्कीट्स्ट बिल्डिंग, 9/12, लाल बाजार स्ट्रीट, दूसरी मंजिल, ब्लॉक-ई, कोलकाता - 700001	कॉर्पोरेट गारंटर

उपर्युक्त व्यक्ति/संस्थाएं, यदि चाहें तो, (क) पहचान प्रमाण प्रस्तुत करके स्वयं या विधिवत अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उपर्युक्त पते पर अधोहस्ताक्षरी से कारण बताओ नोटिस की प्रति तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। (ख) इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 10 दिनों के भीतर कारण बता सकते हैं कि मास्टर निर्देशों के अनुसार उनके नाम को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत क्यों नहीं किया जाना चाहिए और आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

दिनांकः 19.01.2026 **हस्ताक्षर/-**
स्थानः मुंबई **अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड** (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को सूचना में वर्णित राशि के प्रतिभुगतान हेतु, एक मांग सूचना निर्गत की थी। उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत कब्जा ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन जो होगा, वह यहां इसमें निम्न वर्णितानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु **आईआईएफएल एचएफएल** के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ "आईआईएफएल-एचएफएल" को देय धनराषियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और "आईआईएफएल-एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता (ओं)/ सहउधारकर्ता (ओं) के नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया देयराषि (रु.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि
श्री सुरेश कुमार, श्रीमती रानी देवी (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10195909)	फ्लैट नं. एसएफ-3 का दूसरी मंजिल,पीछे बाईं ओर प्लॉट नं. बी-12/2, डीएलएफ अंकुर विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010 में स्थित सम्पत्ति का सभी टुकड़ा एवं अंश, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः विक्रय योग्य क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफलः 495.00, 389.00	रु.1535681 (पंद्रह लाख पैंतीस हजार छह सौ इक्यासी रुपये मात्र)	06.08.2025	15.01.2026
श्री योगेश सिंह, श्रीमती लाडो (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10100912)	फ्लैट नं. यूजीएफ-4, दाईं ओर स्थित प्लॉट नं. एफ -100, एसएलएफ वेद विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102 में स्थित सम्पत्ति का सभी टुकड़ा एवं अंश, क्षेत्रफल (वर्ग फुट में) : संपत्ति का प्रकारःविक्रय योग्य क्षेत्रफल, कालीन क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफलः 360.00, 324.00	रु.1081420 (दस लाख इक्यासी हजार चार सौ बीस रुपये मात्र)	05.08.2025	15.01.2026

अधिक जानकारी के लिए कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: शाखा कार्यालय : कार्यालय संख्या 1, प्रथम मंजिल, महालक्ष्मी मेट्रो टावर, प्लॉट संख्या सी-1, सेक्टर-4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201010 या कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टॉवर, प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, पीएच-IV गुड़गांव, हरियाणा।
स्थानः गाजियाबाद, दिनांकः19/01/2026 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय : 502, टावर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 **सर्किल कार्यालय :-** 9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर सीजीएचएफएल की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

क्र सं	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम	प्रत्याभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का वर्णन	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
1.	(हमारी बरेली शाखा की ऋण खाता संख्या 50400000972710 (नयी)) चंदन (कर्जदार) श्रीमती मुन्नी देवी, श्रीमती प्रीति (सह-कर्जदार)	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : भूमि और भवन, संपत्ति यूनिट मकान नंबर 306, क्षेत्रफल 41.45 वर्ग मीटर, नेकपुर मादीनाथ (बाहर चुंगी), सुभाष नगर, वार्ड नंबर 16, शिव मंदिर के पास, तहसील और जिला बरेली, उत्तर प्रदेश 243001, निम्नानुसार परिबद्ध :- पूर्वः रास्ता 11 फीट चौड़ा, उसके बाद बीरकुमार का मकान, पश्चिमः सुरेंद्र का मकान, उत्तरः राजा राम का मकान, दक्षिणः रास्ता गली 4 फीट चौड़ी	14-10-2025 रु. 11,13,369/-	16-01-2026

स्थान : बरेली **हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)**
तिथि : 19-01-2026 **वास्ते कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (सीजीएचएफएल)**

CAPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं कार्पोरेट कार्यालय :-502, टावर-ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, **सर्किल कार्यालय :-**9बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट IV कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(एं) जारी की थीं, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर सीजीसीएल की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज का भुगतान करने के बाद ही किया जा सकता है।

क्र सं	कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) का नाम	प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
1.	(ऋण खाता संख्या LNMENOI000133376 (पुरानी) 80300005907397 (नयी) LNMEMAY000083571 (पुरानी) 804000057 38710 (नयी) (नोएडा शाखा) श्री सुबोध कुमार (कर्जदार) श्रीमती सुधा देवी (सह-कर्जदार)	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** भूमि और भवन, आवासीय निर्मित मकान, खसरा नंबर 364 मिन, परिमाप 292.63 वर्ग मीटर, न्यू क्रिश्चियन नगर, ग्राम मवई, परगना लोनी, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201009, **सीमाः** पूर्व में: 20 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम में: ललित की संपत्ति, उत्तर में: सुदेश की संपत्ति, दक्षिण में: 10 फीट चौड़ी सड़क	13-10-2025 रु. 73,98,921/-	16-01-2026

स्थान : गाजियाबाद **हस्ता./- (प्राधिकृत अधिकारी)**
तिथि : 19-01-2026 **वास्ते कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड (सीजीसीएल)**

efl

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

मांग सूचना

ऑडुम्बर, प्लॉट नंबर 101/1, एरंडवाने, डॉ. केतकर रोड, पुणे 411004, महाराष्ट्र, भारत

विषयः प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("सरफेसी अधिनियम, 2002") की धारा 13(2) के तहत सांविधिक मांग सूचना।

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड (ईएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले ही अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार यहां सूचीबद्ध कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) (सभी अलग-अलग या एक साथ "दायित्वधारी" संदर्भित)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से, संबंधित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए विस्तृत मांग सूचना जारी की है। उक्त नोटिस की प्रतियां पंजीकृत डाक एडी द्वारा भेजी गयी हैं और अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं, और उक्त दायित्वधारी(यों))/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि, यदि वे चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से संबंधित प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त के संबंध में, एतद्वारा, एक बार फिर, उक्त दायित्वधारी(यों))/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) से संबंधित सूचना(ओं) की तारीख से 60 दिनों के भीतर उनके संबंधित नामों के सामने नीचे दी गई राशि, साथ ही नीचे दिए गए कॉलम (डी) में नीचे वर्णित संबंधित तारीखों से भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, कथित दायित्वधारियों द्वारा निष्पादित ऋण समझौते और अन्य दस्तावेजों / लेखों, यदि कोई हो, के साथ पठित भावी ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, ऋण की देय चुकौती के लिए प्रतिभूति के रूप में, निम्नलिखित प्रतिभूत संपत्ति (यों) को क्रमशः उक्त दायित्वधारि(यों) द्वारा ईएफएल के पास गिरवी रखा गया है।

दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के नाम/ऋण खाता सं.	निम्नलिखित तिथि तक कुल बकाया (रु.)*	मांग सूचना की तिथि तथा एनपीए की तिथि
ऋण खाता सं. APPL00021413/127-138686-2022-19-2, APPL00036690/ 127-138686-2022-19-3, APPL00226726/126-138686-2024-19-4. 1. **मैसर्स यूनिक मोल्ड एंड टूल्स** पताः डी-011/4 साइट 5 कासना इंडस्ट्रियल एरिया ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश - 201308 2. **दिबाकर दास** और 3. **सस्मिता दास**, क्रम नंबर 243 पताः बी-184 एस के-2 सेक्टर-93 गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश- 201301	रू.31,85,863/- (इकतीस लाख पचासी हजार आठ सौ तिरसठ रुपये मात्र) 08-01-2026 तक	16-01-2026 04-07-2025

अनुसूची II - संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति का समस्त भाग लीजहोल्ड इंडस्ट्रियल प्लॉट नंबर डी-11/4, जिसका क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर है, साथ ही उस पर वर्तमान और भविष्य में होने वाला निर्माण, जो सूरजपुर, साइट-V, यूपीएसआईडीसी कासना इंडस्ट्रियल एरिया, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है (जिसे इसके बाद उक्त संपत्ति कहा जाएगा)। उपरोक्त संपत्ति की सीमाः- उत्तरः 12 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिणः प्लॉट नंबर डी-11/7, पूर्वः प्लॉट नंबर डी-11/5, पश्चिमः प्लॉट नंबर डी-11/3

ऋण खाता क्रमांक APPL00126705/103-148255-2023-27-1 एवं APPL00174816/103-148255-2023-19-2 4 APPL00240138/103-148255-2024-27-3 1. **मयंक ट्रेडर्स** पताः जमालगर रोड पुन्हाना मेवात हरियाणा -122508 2. **दीपमाला** स्थानः वार्ड नंबर 6 पुनाहाना मेवात हरियाणा -122508 3. **प्रेम चंद और 4. अनिल कुमार** पताः वासनो देवी मंदिर के पास गांव पुन्हाना पुन्हाना मेवात हरियाणा- 122508 5. **मोद राम** क्रमांक 3 और 5 का पताः वार्ड नंबर 13 वाष्णो देवी मंदिर के पास गांव पुन्हाना मेवात हरियाणा-122508	08-01-2026 तक रू.51,90,912/- (इक्यावन लाख नब्बे हजार नौ सौ बारह रुपये मात्र)	16-01-2026 04-11-2025

अनुसूची II - संपत्ति का विवरणः अचल संपत्ति का समस्त भाग, क्षेत्रफल 0 कनाल 4.5 मरला यानी 136 वर्ग गज है, जो खेवट/खाता नंबर 121/126, मुस्त नंबर 15, किला नंबर 2/1/2/1/1 (0-11) का हिस्सा है, जो वाका मौजा पुन्हाना, तहसील पुन्हाना, जिला नूंह, हरियाणा में स्थित है। (इसके बाद इसे उक्त संपत्ति कहा जाएगा) उपरोक्त संपत्ति की सीमाः - पूर्वः श्री सरे खा की कृषि भूमि, पश्चिमः 60 फीट चौड़ी आम सड़क, उत्तरः श्री राशिद का घर, दक्षिणः श्री ममन खां का घर

*आगे ब्याज के साथ, ऊपर संबंधित मांग सूचना में उल्लिखित तिथि में विशेष रूप से उल्लिखित दर पर अतिरिक्त ब्याज, भुगतान और/या वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। यदि उक्त दायित्वधारी ईएफएल को पूर्वोक्त रूप में भुगतान करने में विफल रहता है, तो ईएफएल दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) के पूर्ण लागत एवं परिणाम के जोखिम पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त प्रतिभूत संपत्ति(यों)/चल संपत्ति(यों) के विरुद्ध आगे कार्यवाही करेगा। उक्त अधिनियम के तहत उक्त दायित्वधारी(यों)/विधिक उत्तराधिकारी(यों)/विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त प्रतिभूत संपत्ति/चल संपत्ति(यों) को बिना ईएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिक्री के माध्यम से, पट्टे पर या अन्यथा विधि से हस्तांतरित करने के लिए निषिद्ध किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

हस्ता./-
तिथि : 19.01.2026 **अधिकृत अधिकारी**
स्थान : गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.), जिला नूह (हरियाणा) **कृते इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड**

Bank of India
Relationship beyond banking

बैंक ऑफ इंडिया
नई दिल्ली संपत्ति वसूली शाखा

तीसरी मंजिल, 'स्टार हाउस, पीवीआर प्लाज़ा हॉल के पास, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001,

ई-नीलामी बिक्री सूचना सम्पतियों की ई-नीलामी - 10.02.2026

फोन नं. 011-23755605 ई-मेल : **AssetRecovery.NewDelhi@bankofindia.bank.in**

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानो के साथ पठित वित्तीय असस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल समपत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/ प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के अधार पर दिनांक **10.02.2026** को पूर्वा.**11.00** बजे से अपरा. **05.00** बजे को बेचा जाएगा, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानो के साथ पठित वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई-नीलामी द्वारा होगी।

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल देय राशी	क. आरक्षित मूल्य ख. ईएमडी ग. बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी सम्पर्क नं.
1.	संपत्ति का मालिक : श्री राजेंद्र कुमार उधारकर्ता : मेसर्स बाबा स्टील सह-उधारकर्ता : श्री सुनील कुमार (मालिक) गारंटर : श्री राजेंद्र कुमार	वाणिज्यिक संपत्ति का EQM एक किता दुकान नंबर 3 (आकार 20 फीट x 50 फीट), जिसका क्षेत्रफल 111.11 वर्ग गज है, नई अनाज मंडी, वाका समालखा पानीपत में श्री राजेंद्र कुमार के नाम पर स्थित है (सांकेतिक कब्जे में है।)	रू.3,57,75,624.67 दिनांक 08.05.2025 तक प्लस ब्याज, खर्च और दूसरे चार्ज, अगर कोई रीपेमेंट हो तो उसे घटाकर	क) रु. 2,26,24,000/- ख) रु. 22,62,400/- ग) रु. 1,00,000/-	श्री वैभव गुप्ता मुख्य प्रबंधक +91 9891505506
2.	संपत्ति का मालिक : श्री रमन पुरोहित, पुत्र श्री के.के. पुरोहित उधारकर्ता : श्री रमन पुरोहित सह-उधारकर्ता : श्रीमती गाजी पुरोहित गारंटर : श्री रमन पुरोहित और श्रीमती गेजी पुरोहित	प्रॉपर्टी का वह पूरा हिस्सा जिसमें पहली मंजिल पर फ्रीहोल्ड फ्लैट नंबर 186, कैटेगरी डफ्ल शामिल है, जो वेद जनक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड के लेआउट प्लान में है, जिसे आमतौर पर आकाशदर्शन अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज - 1, नई दिल्ली - 110091 के नाम से जाना जाता है, जिसका प्लिंथ एरिया 99.00 वर्ग मीटर है, जिसके मालिक श्री रमन पुरोहित हैं।	रू.1,11,15,635.43 दिनांक 06.09.2025 तक प्लस ब्याज, खर्च और दूसरे चार्ज, अगर कोई रीपेमेंट हो तो उसे घटाकर	क) रु. 1,40,88,000/- ख) रु. 14,08,800/- ग) रु. 1,00,000/-	श्री वैभव गुप्ता मुख्य प्रबंधक +91 9891505506

नियम और शर्ते

1) नीलामी बिक्री/बोली केवल "ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया" https://baanknet.com वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल https://baanknet.com पर पंजीकरण करना चाहिए और केवाईसी दस्तावेज अपलोड करना चाहिए और सेवा प्रदाता द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, ईएमडी को एनईएफटी / आरटीजीएस / ट्रांसफर / चालान फॉर्म (https://baanknet.com) के माध्यम से बैंकनेट ईएमडी वॉलेट में जमा करना होगा।
3) नीलामी की तिथि और समय : 10.02.2026 सुबह 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक असीमित 5 मिनट प्रत्येक ऑटो-एक्सटेंशन के साथ।
4) संपत्ति का निरीक्षण संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति के साथ 04.02.2026 से 06.02.2026 से पहले किया जा सकता है।
5) ई-नीलामी जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, आरक्षित मूल्य प्लस प्रथम वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगा। बोली दाता सभी संपत्तियों के लिए एक साथ उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार करेगा।
6) इच्छुक बोलीकताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई-निलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी BAANKNET के साथ जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, 10.02.2026 से पहले ई-विक्रय पोर्टल https://baanknet.com पर जमा करना होगा।
7) उच्चतम /सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
8) बोली /खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 दिन के अंदर (बैंकिंग कार्य दिवस के दौरान) या पुरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी /बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9) प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी की शर्तों को स्थगित/रद्द/स्थगित/बंद करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।
10) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
11) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक - https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें
12) यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं को अग्रिम में 15 दिनों का नोटिस भी है।
13) इस नोटिस के अंग्रेजी संस्करण और किसी अन्य स्थानीय भाषा के संस्करण के बीच विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

दिनांक : 19.01.2026 **स्थान : नई दिल्ली** **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया**

अम्बे लैबोरेटरीज लिमिटेड

CIN: L74899DL1985PLC020490
पंजीकृत कार्यालयः ग्राउंड फ्लोर, संपत्ति संख्या 555 तरला मोहल्ला, घिटोरनी, दक्षिण पश्चिम दिल्ली-110030 भारत
संपर्कः 9899664458
ईमेलः accountho@ambeylab.com, www: ambeylab.com

पोस्टल बैलट सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत निर्मित नियमों के लागू प्रावधानों, इस संबंध में जारी परिपत्रों के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ['एमसीए'] द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के साथ पठित भारतीय कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक [एसएस -2], किसी भी वैधानिक संशोधन या संशोधन या उसके कुछ समय के लिए पुनः अधिनियमन सहित, **एंबी लैबोरेटरीज लिमिटेड ('कंपनी')** के सदस्यों को नोटिस दिया जाता है कि केवल रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया ['रिमोट ई-वोटिंग'] के माध्यम से पोस्टल बैलट द्वारा विशेष प्रस्तावों को पारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों की मंजूरी मांगी जा रही है।

इस पोस्टल बैलट की सूचना उन सदस्यों को पहले ही भेज दी गई है, जिनका ई-मेल पता कंपनी के कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ('डीपी')/ कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') यानी एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ('एमयूएफजी') (पूर्व की लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) के साथ शुक्रवार, 16 जनवरी